11608

मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
:: आदेश ::

भोपाल,दिनांक 11 मई 2018

क्रमांक एफ 1-2 /2012/56 : सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति -2012(यथा संशोधित 2014) की कंडिका क्रमांक 10 में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को आई.टी. निवेश संवर्धन सहायता की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में प्रावधान किया गया था । उक्त नीति में आई.टी. निवेश संवर्धन सहायता संबंधी प्रावधान को लागू किये जाने संबंधी आदेश जारी न होने के कारण तत्समय पात्र कंपनियों को यह लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। दिनांक 18-10-2016 से पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को तत्समय प्रचलित सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति -2012(यथा संशोधित 2014) में वेट एवं सीएसटी से संबंधित निम्नलिखित छूट/सुविधा उपलब्ध थी:-

10) आई.टी. निवेश संवर्धन सहायता

सभी नई कम्पनियां भुगतान किये गए मूल्यवर्धित कर (वैट) में इनपुट टैक्स रिबेट और केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) (कच्चे माल की खरीद पर वैट की राशि को छोड़ कर) का समायोजन करने के बाद भुगतान किये गए मूल्यवर्धित कर (वैट) पर (यदि लागू हो) निम्नानुसार निवेश संवर्धन सहायता प्राप्त करने की पात्र होंगी:

क्रं.	पात्र पूंजी निवेश	निवेश संवर्धन सहायता के रूप में भुगतान किए गए कर का प्रतिशत	सहायता की अवधि (वर्षों की संख्या)
1	रु. 10 करोड़ तक	50	5
2	रु. 10 करोड़ से अधिक	75	10

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश संवर्धन सहायता की प्रतिपूर्ति कम्पनी को सीधे वार्षिक आधार पर की जाएगी।

2 अतः उपरोक्तानुसार कंडिका 10 में उल्लेखित प्रावधान के लाभ की पात्रता रखने वाली ईकाइयों को वैट एवं सीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया/निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. आई.टी. निवेश संवर्धन सहायता प्राप्त करने हेतु इकाईयों द्वारा परियोजना में उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात वैट एवं सीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित संलग्न प्रपत्र (फार्म-1) में आवेदन, दस्तावेजों सहित मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. इकाई द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिये गये आवेदनों का परीक्षण मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
3. इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 18.10.2016 के पूर्व होना आवश्यक है।
4. ईकाई आई.टी. निवेश संवर्धन सहायता की प्रतिपूर्ति हेतु वार्षिक आधार पर आवेदन कर सकती है।

CGM
15/5/18

5. निवेश संवर्धन सहायता प्राप्त करने हेतु इकाई मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।
6. निवेश संवर्धन सहायता केवल उत्पादित मुख्य उत्पाद, सह-उत्पाद (Bye-Product) एवं उत्पादन की प्रक्रिया से प्राप्त वर्ज्य- पदार्थ (Waste materials) के परिपेक्ष्य में ही दी जाएगी।
7. योजना के किसी प्रावधान की किसी प्रकार की व्याख्या या मार्गदर्शन हेतु प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. आई.टी. निवेश संवर्धन सहायता की स्वीकृति हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम अधिकृत होंगे।

संलग्न : प्रपत्र।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
10.5.18
(नंदा भलावे कुशरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
भोपाल 11 मई 2018

पृ.क्र. एफ 1-2/2012/56
प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन, वाणिज्य , उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

496
501

Form-1

Application Form for Receiving Assistance under
IT Investment Promotion Assistance
Claim Form

FY--------------------------Period - from ----------------- to -------------

1. (A) I.T. Certificate Number & date issued by MPSEDC. (B) TIN Number & Date issued by commercial Tax Department.	
2. The name of main product, co-product : (Bye-Product) and waste materials got from production process in the period of claim	
3. Actual Tax Amount Paid (VAT+CST) (less Input tax rebate)	Actual tax paid amount (Less input tax rebate) VAT | CST | Total
4. Amount claimed in current year Under I.T. Investment Promotion Assistance (75%/50%) of Tax deposited by unit	
5. Bank Account details (including branch, Account Number, IFSC Code etc.)	

Enclosure- List of document

1. Self attested Challan copy.

UNDERTAKING : -

I/We hereby undertake that : -

1. I/We here declare that above information/statement are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

2. That IT Investment Promotion Subsidy has not been claimed from any other source.

3. I/We will submit the annual assessment order and in case any difference of claim is noticed, it will be subjected to the rules on this behalf.

4. I/We will abide by all conditions which may be stipulated by the Science and Technology Department, Government of Madhya Pradesh from time to time.

5. In case it is found that, we have violated any condition/conditions of the IT Investment Policy 2012 (As amended 2014), the Department of Science & Technology will have full rights to discontinue and recover any incentive/assistance.

Seal/Stamp of the company **Signature of the Authorized Person**

Details of the Signing Person

Name in Block Letters

Designation

e-mail id

Aadhar No.

Mobile No.

Date.